



## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)  
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)  
"ShikshaSadon", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014

दिनांक: 12 जुलाई, 2014

परिपत्र संख्या-अका. 22/2014

विषय : विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए जापान एवं पूर्व एशिया विनिमय-तन्त्र कार्यक्रम, (जेनेसिस), 2014

प्रिय प्रधानाचार्य,

विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए जापान एवं पूर्व एशिया विनिमय तंत्र कार्यक्रम, (JENESYS) के अंतर्गत देशभर से करीब 182 विद्यार्थियों के दल को जापान यात्रा पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार जाने की संभावना है:

दल न./नाम	कार्यक्रम विवरण	प्रतिभागियों की संख्या	टिप्पणी
खेलदल-फुटबाल	20-28 अक्टूबर 2014	2 पर्यवेक्षकों/शिक्षकों सहित 25 प्रतिभागी	केवल पुरुष प्रतिभागियों का नामांकन
प्रथम दल: पारम्परिक विरासत कला	10-18 नवम्बर 2014	3 पर्यवेक्षकों/शिक्षकों सहित 87 प्रतिभागी	पुरुष/महिला प्रतिभागी 1:1 के अनुपात से आयु वर्ग 14- 18 वर्ष
द्वितीय दल (खेल)			
1. लॉन टेनिस	8-16 दिसम्बर, 2014	एक पर्यवेक्षक/ शिक्षक सहित 27 प्रतिभागी	पुरुष/महिला प्रतिभागी 1:1 अनुपात में
2. बास्केटबॉल	8-16 दिसम्बर, 2014	एक पर्यवेक्षक/ शिक्षक सहित 27 प्रतिभागी	
3. वॉलीबॉल	8-16 दिसम्बर, 2014	एक पर्यवेक्षक/ शिक्षक सहित 26 प्रतिभागी	

JENESYS कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के मध्य आपसी समझ को गहरा करने और साथ ही साथ एशियाई और औशनियन देशों में युवाओं के मध्य आपसी समझ और दोस्ती के साथ ही भविष्य के बन्धन के लिए नींव रखना है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य परस्पर विनिमयन से एशिया में एकजुटता का मजबूत आधार स्थापित करना है।

के.मा.शि.बो. ऊपर दिये गये कार्यक्रमों के लिए 350 विद्यार्थियों एवं 30 शिक्षकों को मनोनीत करने का प्रस्ताव रखता है। के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए अपने विद्यालय के विद्यार्थियों (एक लड़का व एक लड़की, फुटबाल के अतिरिक्त) एवं एक अध्यापक वाँछित जानकारी के साथ मनोनीत करें ताकि यहाँ कार्यालय में उसका प्रसंस्करण किया जा सके।

#### चयन मापदण्ड-

- एक ही विद्यार्थी को एक से अधिक बैच/दल के लिए मनोनीत न करें।
- विद्यार्थी 14-18 वर्ष के मध्य आयुवर्ग के होने चाहिए (कक्षा IX से XII में पढ़ने वाले)
- सभी चयन किये जानेवाले विद्यार्थी शारीरिक रूप से जापान में पर्यटन के लिए सक्षम होने चाहिए।
- सभी चयनित विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्षम एवं रचनात्मक हों ताकि वे अन्य देशों के विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप तथा

वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

- हमारे देश के प्रतिनिधि होने के नाते विद्यार्थियों को अत्याधिक अनुशासित नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले तथा समय का सख्त पावन्द होना चाहिए। यह भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे धूम्रपान एवं मदिरा का प्रयोग न करने वाले हों।
- चयनित विद्यार्थियों के पास पासपोर्ट होना चाहिए अथवा उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। प्राथमिकता उन विद्यार्थियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग सहित) को दी जानी चाहिए जिन्होंने पूर्व में JENESYS में भाग नहीं लिया हो।
- पूर्व में विदेश यात्रा/भ्रमण पर गये विद्यार्थियों को चाहे वह व्यक्तिगत यात्रा हो, प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।

इच्छुक विद्यालय दी गयी वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं <http://online.cbsei.in/registration/jenesys/>

1. **संलग्नक 1:** सूचना सूची (ऑनलाइन भरी जाएगी)
2. **संलग्नक 2:** विद्यार्थी एवं युवाओं के लिए जापान एवं पूर्व एशिया के विनियम तंत्र कार्यक्रम, 2014 के अंतर्गत मनोनीत विद्यार्थियों की समेकित सूचना (ऑफलाइन भरी जाएगी)
3. **संलग्नक 3:** विद्यार्थी एवं युवाओं के लिए जापान एवं पूर्व एशिया के विनियम तंत्र कार्यक्रम, 2014 के अंतर्गत मनोनीत शिक्षकों की समेकित सूचना (ऑफलाइन भरी जाएगी)

संलग्नक संख्या को SUBMIT बटन पर क्लिक करके **23 जुलाई 2014** से पूर्व जमा किया जाना चाहिए। प्रधानाचार्य से संबंधित विवरण उनको संबंधित स्कूल द्वारा ऑनलाइन संलग्नक की भरी हुई मुद्रित कॉपी पर लिख कर भरा जाए। जमा होने के पश्चात् कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिए। अपूर्ण प्रविष्टियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया विद्यार्थियों की सूची संलग्नक 1, 2 और 3, में दिए गए फॉर्मेट में **सहयोगी दस्तावेजों** के साथ भेजें [http://mhrd.gov.in/jenesys\\_pgm](http://mhrd.gov.in/jenesys_pgm) पर उपलब्ध प्रविष्टि प्रपत्र भर कर **23 जुलाई 2014** को अथवा इससे पूर्व स्पीड पोस्ट निम्न दिए गये पते पर भेजें:

श्री संदीप सेठी  
शिक्षा अधिकारी  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
शिक्षा सदन, 17 राउज़ ऐवेन्यु, इन्सटिट्यूशनल एरिया  
नई दिल्ली-110002  
टेलिफोन नं. 011-23217128

[ई मेल-touchsandeep.sethi@gmail.com](mailto:ई मेल-touchsandeep.sethi@gmail.com)

यह भी उल्लेखनीय है कि अंतिम तिथि में समय कम होने की वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यालयों को यह सुझाव दिए जाते हैं कि वे अन्य अद्यतन जानकारी के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर संपर्क करें।

कार्यक्रम की सामान्य जानकारी एवं विवरणिका के लिए आप मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की वेबसाइट [www.mhrd.gov.in](http://www.mhrd.gov.in) पर दिए गये लिंक Department of School Education and Literacy Secondary Education> Autonomous Bodies>CBSE>Jenesys. पर देख सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित

भवदीया

हस्ताक्षरित/-

डॉ. साधना पाराशर

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सभी क्षेत्रीय निदेशक के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
- 11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

**प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)**